कार्यालय–अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट–बाराबंकी।

ई–निविदा सूचना

संख्या–914 /अधी0गंज0/भण्डार पत्रा0/ दिनांक 31–01–2024

राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चक गंजरिया स्थित निबलेट–बाराबंकी पर साहीवाल पशुओं हेतु लगभग 12000 कुन्तल गेहूँ के भूसे की व्यवस्था किए जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार गेहूँ का भूसा क्रय किए जाने सम्बन्धी ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। निर्धारित निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्ते पशुपालन विभाग की बेबसाइट **www.animalhusb.upsdc.gov.in** पर उपलब्ध होगी। सम्बन्धित गेहूँ के भूसे को वर्ष 2024–25 में क्रय हेतु ई–निविदा उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट **http;//etender.up.nic.in** के माध्यम ई–टेण्डर द्वारा **submit** की जाएगी। टेक्निकल बिड वैध पाए जाने पर ही वित्तीय बिड पर विचार किया जाएगा। दिनांक 22–02–2024 अपरान्ह 05.00 बजे तक तकनीकी निविदा प्रपत्र, निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 की हार्ड कापी मूल प्रपत्र जमा करना अनिवार्य है।

क्र0 सं0	आपूर्ति की जाने वाली सामग्री	बजट आधार अनुमानित कीमत	अर्नेस्ट मनी	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0	ई–निविदा अवधि	तकनीकी बिड खुलने का दिनांक
1	गेहूँ का भूसा	1,17,00,000.00	1,17,500.00 (रू0 एक लाख सत्रह हजार पाँच सौ)	17,600.00 (रू0 सत्रह हजार छः सौ) एवं जी0एस0टी0 18 प्रतिशत	01–04–2024 से 31–03–2025 तक	23–02–2024 अपरान्ह 01.00 बजे

<u>ई–निविदा की नियत तिथि एवं समयः–</u>

1.	आनलाइन निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि एवं समय	14–02–2024 पूर्वान्ह 10.00 बजे
2.	आनलाइन निविदा प्रपत्र जमा करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	14–02–2024 पूर्वान्ह 11.00 बजे
3.	आनलाइन निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	22–02–2024 अपरान्ह 05.00 बजे तक
4.	तकनीकी निविदा प्रपत्र, निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 की हार्ड कापी जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	22–02–2024 अपरान्ह 05.00 बजे तक
5.	आनलाइन तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	23–02–2024 अपरान्ह 01.00 बजे

(डा0ए0के0चौरसिया)
अधीक्षक

राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चक गंजरिया स्थित निबलेट–बाराबंकी पर गायों को खिलाने हेतु गेहूँ के भूसे के क्रय हेतु निविदा की शर्ते (अनुमानित मात्रा 12000 कु0)

1. निविदा प्रपत्र शुल्क किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा मुख्य तकनीकी अधिकारी, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चक गंजरिया, लखनऊ के पक्ष में जारी बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट स्वीकार्य होगा।
2. निविदा प्रपत्र के साथ गेहूँ के भूसे के लिये नियमानुसार अर्नेस्ट मनी के रूप में बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 मुख्य तकनीकी अधिकारी, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चक गंजरिया, लखनऊ के पक्ष में संलग्न किया जाना अनिवार्य है। चेक/नगद धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी। बिना अर्नेस्ट मनी के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदादाता का जी0एस0टी0 पंजीकरण होना अनिवार्य है, जिसकी स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निविदादाता को विगत तीन वित्तीय वर्षों 2020–21, 2021–22, 2022–23 अर्थात कर निर्धारण वर्षों (Assesment Year) 2021–22, 2022–23, 2023–24 का आयकर विवरण संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता के नाम कम से कम रू0 10,00,000.00 (रूपये दस लाख मात्र) का हैसियत प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्गत अथवा दस लाख की बैंक क्रेडिट लिमिट का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
6. निविदा की दरें एफ0ओ0आर (गोदाम के अन्दर) की होगी। केवल जी0एस0टी0 नियमानुसार अलग से देय होगा।
7. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं को क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी उसमें सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
8. आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार निगोसियेशन किया जा सकता हैं।
9. किसी राजकीय विभाग व अन्य संस्थान द्वारा फर्म को काली सूची में न डालने अथवा डिबार अथवा अर्नेस्ट मनी न जब्त होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र नोटराइज्ड रू0 10.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रमाण पत्र अपलोड करें। प्रक्षेत्र के लिए आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम दरों पर क्रय स्वीकार करें। दरों पर निर्णय लेते समय समिति पूर्व अनुभव, गुणवत्ता अथवा बाजार भाव आदि को संज्ञान में ले सकती है।
10. निविदादाता को किसी सरकारी संस्था में विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 5000 (पाँच हजार) कुन्तल गेहूँ के भूसे की सफल आपूर्ति से सम्बन्धित क्रयादेश प्रमाण के रूप में संलग्न करना होगा तथा प्रश्नगत संस्था/संस्थाओं से सफल/नियमित आपूर्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा।
11. निविदाओं के माध्यम से प्राप्त हुयी न्यूनतम दरों पर क्रय समिति के द्वारा विचार करने के उपरान्त न्यूनतम दरें उपनिदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
12. क्रय आदेश जारी करते समय आपूर्ति पर शिड्यूल अंकित किया जायेगा, जिसके अनुसार सम्बन्धित फर्म आपूर्ति प्रक्षेत्र स्टोर (गोदाम के अन्दर) पर करायेगी।
13. सफल निविदादाता फर्म को क्रय किये जाने वाले गेहूँ के भूसे के अनुमानित लागत के 05 प्रतिशत जमानत धनराशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से एफ0डी0आर0 बनवाकर **उपनिदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ** के पक्ष में बन्धक रखनी होगी, उत्तर प्रदेश प्रक्योरमेन्ट मैनुअल 2016 के अध्याय 09 के क्रमांक 9.14 में स्पष्ट उल्लिखित है कि जमानत धनराशि अनुमानित लागत के 05 प्रतिशत सौ के निकटतम गुणज के बराबर देय होगी। न्यूनतम स्वीकृत टेण्डरदाता द्वारा निर्धारित अवधि में अनुबन्ध करने मे असफल रहने की दशा में आपूर्ति में अनिच्छुक मानते हुये धरोहर राशि जब्त करते हुये द्वितीय न्यूनतम दरदाता से न्यूनतम दरों

पर अनुबन्ध हेतु विचार किया जा सकता है। जिन निविदादाता की दरें स्वीकार की जायेगी उन्हें भारतीय स्टाम्प अधिनियम–1899 की अनुसूची एक–ख के अनुच्छेद–57 के अन्तर्गत रू0 100/–(रूपया एक सौ मात्र) के स्टैम्प पेपर पर दर अनुबन्ध करना होगा जिसका व्यय निविदादाता द्वारा स्वयं किया जायेगा कि उक्त पर उत्तर प्रदेश शासन की निबन्धन विभाग की एम0ए0क्यू0 क्र0सं0–16 के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित ठेकेदारों को इस आशय धनराशि रू0 50.00 का शपथ पत्र/बान्ड भरना होगा कि ''मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन याचिका का निर्णय यदि राज्य सरकार के पक्ष में कर दिया जाता है तो नियमानुसार देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जायेगा''।

14. क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये एक अथवा समस्त निविदायें निरस्त कर दें।
15. निविदादाता के स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी फर्म किसी राजकीय विभाग अथवा अन्य संस्था से काली सूची में नहीं डाली गयी है। जिन निविदादाताओं को उपरोक्त शर्त मान्य हो वही निविदादाता अर्नेस्ट मनी के साथ दरें प्रस्तुत करें अन्यथा उसके अभाव में उनके द्वारा प्रस्तुत दरों पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित की गयी कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। सशर्त निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
16. उक्त निविदा दिनांक 01–04–2024 से 31–03–2025 तक मान्य होगी या अगला टेण्डर स्वीकृत होने तक मान्य होगी।
17. क्रय उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल तथा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
18. सफल निविदादाता को उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल में वर्णित इंटीग्रिटी पैक्ट (Integrity Pact Ref Para 18.9) को भी हस्ताक्षरित करना होगा।
19. तकनीकी निविदा में सभी प्रपत्र स्वहस्ताक्षरित कर अपलोड करने होंगे।

आपूर्ति

1. स्वीकृति निविदादाता को क्रय किये जाने वाले भूसे की अनुमानित मात्रा का लगभग (80 प्रतिशत) की आपूर्ति माह जून/जुलाई, 2024 तक सुनिश्चित करनी होगी।
2. आपूर्ति हेतु न्यूनतम एक सप्ताह का समय दिया जायेगा।
3. निविदा में विज्ञापित मात्रा अनुमानित है तथा अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चक गंजरिया स्थित निबलेट–बाराबंकी को अधिकार होगा कि वह अपनी आवश्यकतानुसार मांग को घटा–बढा सकते है।
4. क्रय अधिकारी को यह अधिकार होगा कि आपूर्ति समय से अथवा मानकों के अनुसार न होने की दशा में जमा की गयी अर्नेस्ट मनी जब्त कर लें तथा भविष्य के लिये फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाये।
5. यदि किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा दिये गये डिलिवरी शिड्यूल के अनुसार गेहूँ के भूसे की आपूर्ति नहीं की जाती है अथवा पूरी मात्रा की आपूर्ति नहीं की जाती है अथवा आपूर्ति किया गया गेहूँ का भूसा निर्धारित गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं पाया जाता है ऐसी दशा में राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चक गंजरिया स्थित निबलेट–बाराबंकी द्वारा आवश्यकतानुसार पशुओं हेतु गेहूँ के भूसे की आपूर्ति जारी रखने हेतु रिक्त क्रय प्रणाली के अन्तर्गत द्वितीय एवं तृतीय न्यूनतम दरें (क्रय समिति की संस्तुति पर उपनिदेशक (प्रक्षेत्र), महोदय द्वारा अनुमोदित) अंकित करने वाली फर्मो से वरीयता क्रम में क्रय कर लिया जायेगा एवं इस प्रकार रिस्क परचेज के अनुसार अन्तर की धनराशि की कटौती पार्टी के जमानत की राशि एवं लम्बित भुगतान से कर ली जायेगी। यदि रिस्क परचेज के अन्तर की धनराशि भुगतान हेतु लम्बित बिलों तथा जमानत

की राशि से अधिक आती है तो ऐसी दशा में इस प्रकार की राशि पार्टी से न्यायिक प्रक्रिया से वसूली जायेगी और सम्बन्धित फर्म को काली सूची मे अंकित किये जाने हेतु विचार किया जायेगा।

6. क्रय समिति की संस्तुति के आधार पर एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत एक ही दर स्वीकृत होती है तो क्रय की जाने वाली सामग्री को बराबर मात्रा में आंवटित कर दिया जायेगा।
7. अपरिहार्य कारणों से भूसे की मात्रा घटाई–बढ़ाई जा सकती है, जिसका पूर्ण अधिकार क्रय अधिकारी को होगा।
8. भूसे का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित मानक मद में बजट उपलब्ध कराये जाने पर ही सम्भव होगा।

<u>गुणवत्ता</u>

1. गेहूँ के भूसे की आपूर्ति प्राप्त करते समय प्रक्षेत्र पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा गेहूँ के भूसे का नेत्र परीक्षण किया जायेगा और यदि भूसा नेत्र परीक्षण के समय अधोमानक प्रतीत हुआ तो भूसे को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपने खर्च पर वापस लेना होगा।
2. गेहूँ के भूसे में किसी प्रकार के हानिकारक पदार्थ जैसे धूल, बाहरी तत्व, बालू/मिट्टी, लोहे के टुकड़े आदि नहीं होने चाहिए। गेहूँ का भूसा मानक के अनुसार नहीं होने पर पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से रिजेक्ट करने का अधिकार अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चक गंजरिया स्थित निबलेट–बाराबंकी को सुरक्षित रहेगा। निर्धारित गुणवत्ता का माल ही आपूर्तिकर्ता को देना होगा।

<u>भुगतान</u>

1. समस्त गेहूँ के भूसे के बिलों का भुगतान अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चक गंजरिया स्थित निबलेट–बाराबंकी द्वारा बजट की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से किया जायेगा।

<u>अन्य शर्तें</u>

1. यदि आपूर्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो नियमानुसार पंच निर्णय के माध्यम से निपटारा हेतु संदर्भित किया जायेगा एवं उनके द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा तथा किसी प्रकार के विधिक प्रकरण में न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।
2. उपरोक्त शर्तों में आपूर्तिकर्ता एवं क्रेता द्वारा उभय पक्षीय सहमति द्वारा आवश्यकतानुसार फेर बदल किया जा सकता है।

उपरोक्त सभी शर्ते मुझे/हमें मान्य है तथा इन शर्तों को ध्यान में रखकर ही निविदा प्रस्तुत की जा रही है।

निविदादाता का हस्ताक्षर..............................
नाम..
फर्म/कम्पनी की सील..................................
पूरा पता..

अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चक गंजरिया स्थित निबलेट–बाराबंकी

ई–निविदा तकनीकी बिड

राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चक गंजरिया स्थित निबलेट–बाराबंकी द्वारा प्रक्षेत्र हेतु वर्ष 2024–25 (माह अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025) की अवधि हेतु गेहूँ का भूसा क्रय के सम्बन्ध में प्रकाशित निविदा सूचना सं–914 दिनांक 31–01–2024 सम्बन्धी तकनीकी निविदा प्रपत्र का विवरणः–

1.	निविदादाता फर्म का नामः–	
2.	निविदादाता / फर्म का पता, मोबाईल नं0 व ई0मेलः–	
3.	जी0एस0टी0 पंजीकरण / तिथि वैधता दिनांक (प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न करें)	
4.	आयकर स्थायी संख्या–(PAN) (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
5.	आयकर विगत तीन वित्तीय वर्षो 2020–21, 2021–22, 2022–23 अर्थात कर निर्धारण वर्षो (Assesment Year) 2021–22, 2022–23, 2023–24 का आयकर विवरण संलग्न करना होगा। (प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न करें)	
6.	धरोहर धनराशि (अर्नेस्टमनी) विवरण (बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट / एफ0डी0आर0 मूल रूप में संलग्न करें)	
7.	निविदा प्रपत्र क्रय शुल्क का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट (मूल रूप में संलग्न करें)	
8	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र (रू0 दस लाख मात्र) अथवा दस लाख का बैंक क्रेडिट लिमिट का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
9	किसी राजकीय विभाग व अन्य संस्थान द्वारा फर्म को काली सूची में न डालने अथवा डिबार अथवा अर्नेस्ट मनी न जब्त होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र नोटराइज्ड रू0 10.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रमाण पत्र अपलोड करें।	
10	निविदादाता को किसी सरकारी संस्था में विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 5000 (पाँच हजार) कुन्तल गेहूँ के भूसे की सफल आपूर्ति से सम्बन्धित क्रयादेश प्रमाण के रूप में संलग्न करना होगा तथा प्रश्नगत संस्था / संस्थाओं से सफल / नियमित आपूर्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा।	

घोषणा

मैने / हमने क्रय प्रस्ताव प्रपत्र (निविदादाताओं के लिए आवश्यक निर्देश) के लिय निर्देश को भलीभॉति पढ़ / समझ लिया है तथा उनका अनुपालन करने हेतु वचनबद्ध हूँ / है। मैं अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चक गंजरिया स्थित निबलेट–बाराबंकी द्वारा निर्धारित समय सीमा में आदेशित मात्रा की आपूर्ति करने में पूर्णतया समर्थ हॅू / है। कार्य निष्पादन में किसी प्रकार का विलम्ब या असफल होने पर मेरी / हमारी सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी। क्रय प्रस्ताव प्रपत्र में दी गयी सूचनायें मेरी / हमारी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। क्रय प्रस्ताव प्रपत्र में सम्बन्धित कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है। क्रय प्रस्ताव में गठित कमेटी का निर्णय मान्य होगा। क्रय प्रस्ताव की शर्ते स्वीकार है। उपरोक्त के विपरित यदि कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो मेरी / हमारी निविदा निरस्त कर दी जाये। इसमें मुझे / हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थानः...

दिनांकः..

निविदादाता अधिकारी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्रतिष्ठान की मुहर

अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चक गंजरिया स्थित निबलेट–बाराबंकी

ई–निविदा वित्तीय बिड

अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चक गंजरिया स्थित निबलेट–बाराबंकी द्वारा दैनिक समाचार पत्र राज्य संस्करण में प्रकाशित निविदा सूचना प्रकाशन सूचना सं0–914 दिनांक 31–01–2024 के क्रम में निम्न विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 (माह अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025 तक) की अवधि के लिये आपूर्ति हेतु एफ0ओ0आर0 दरें समस्त करों सहित प्रस्तावित हैः–

क्र0 सं0	आपूर्ति की जाने वाल सामग्री की अनुमानित मात्रा	क्रय की जाने वाली अनुमानित मात्रा (कुन्टल में)	दर प्रति कुन्टल
1.	गेहूँ का भूसा (12000 कुन्तल) (बारह हजार कुन्तल)	12000 कुन्तल	

उपरोक्त गेहूँ के भूसे की आपूर्ति राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चक गंजरिया स्थित निबलेट–बाराबंकी की आवश्यकता हेतु निविदा शर्तों के अनुसार किये जाने के लिये सहमत हूँ। आपूर्ति आवश्यकतानुसार समय–समय पर क्रय आदेश के अनुसार की जायेगी।

हस्ताक्षर..

फर्म का मुहर..